कार्यालय ग्रा.पं. पसिया खेड़ा, वि.खं. सिंधौली, शाहजहांपुर

अल्पकालीन निविदा सूचना

समस्त जीएसटी में पंजीकृत फर्मों को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पसिया खेड़ा, विकास खण्ड सिंधौली, शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा, पंचम राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त योजना के अर्न्तगत निर्माण कार्य हेतु आवश्यक ईंट, मौरंग, बजरी, सरिया, सीमेन्ट, रोड़ी, रेता, इण्टरलाकिंग ईंट आदि की आवश्यकता है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति कार्य स्थल पर करने हेतु निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दिनांक 27.02.2025 को दोपहर 3 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दिनांक 03.03.2025 को 4 बजे खोली जायेंगी।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनु. लागत	योजना का नाम	अभ्युक्ति
1	रियाज के मकान से नईम के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य 64X 3.30 मीटर लं X चौ. 200 मीटर	1.99 लाख	मनरेगा योजना	मात्रा एवं सामग्री की पूर्ण जानकारी ग्रा.पं. कार्यालय से सम्पर्क कर ली जा सकती है। जिसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है।

सलीम खान, ग्राम प्रधान **शाहीन खान, सचिव**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वाँ तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई– 600031
दूरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित ऋणकर्ताओं और सह–ऋणकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)** से निम्न वर्णित प्रतिभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्न–वर्णित ऋणकर्ताओं और सह–ऋणकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋणानुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालननुपालन करने में विफल हो चुके थे और अनियमित हो चुके थे, अतः उनके ऋण खाता को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। और इस प्रकार, उनकी ओर से **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)** को देय–भुगतेय धनराशियों को संबंधित निर्गत सूचनाओं के अनुसार अंकित किया गया है, जो अधिक विशिष्ट रूप में निम्नलिखित तालिका में सांकित हैं और उक्त धनराशियों पर भावी ब्याज भी लागू होगा और ब्याज जो है वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रभावी संविदागत दर के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	10057935172	बीबीजी	19.02.2025	50,74,335/–

ऋणकर्ताओं एवं सह–ऋणकर्ताओं के नाम : 1. राजू ड्रग हाउस, 2. रेखा भगतानी, 3. निखिल भगतानी, 4. आकांक्षा भगतानी

संपत्ति का पता : फ्लैट नंबर 303 के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसका माप 121.92 वर्ग मीटर है, ए क्लास आवासीय कवर्ड एरिया 107.18 वर्ग मीटर और बाकी खुला क्षेत्र 14.74 वर्ग मीटर, तीसरी मंजिल पर, संपत्ति संख्या 2/96 का हिस्सा, 'व्हाइट हाउस' चर्च रोड, खानदारी, हरि पर्वत वार्ड, आगरा, उत्तर प्रदेश– 282002 में स्थित है, तथा इसकी सीमा इस प्रकार है :– पूर्व : आकाश की ओर खुला, पश्चिम : कॉमन स्टार्स, लिफ्ट और फ्लैट नंबर 1 और 2, उत्तर : आकाश की ओर खुला, दक्षिण : आकाश की ओर खुला।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	13564430	संपत्ति के समक्ष ऋण	12.02.2025	25,89,135.69/–

ऋणकर्ताओं एवं सह–ऋणकर्ताओं के नाम : 1. अनिल ब्रह्मसिंह, 2. ब्रह्मसिंह

संपत्ति का पता : 566 वर्ग गज या 473.23 वर्ग मीटर में फैली भूमि के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसमें शामिल है खाता नं. 00157, खेत नं. 304, क्षेत्रफल 0.0760 हेक्टेयर जो गांव : लाडपुरा, परगना: दनकौर, जिला: गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201301 में स्थित है, और इसकी सीमा इस प्रकार है :– पूर्वः अरजी सतबीर, पश्चिमः रास्ता 15 फीट चौड़ा, उत्तरः अरजी दीगर, दक्षिणः रास्ता 12 फीट चौड़ा।

आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में निदर्शित विवरणों के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)** को बकाया धनराशियों का उनकी संबंधित तिथियों से धनराशियों पर गणनाकृत ब्याज की संविदागत दर पर ब्याज और अन्य लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों में भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वे **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)** को देय–भुगतेय धनराशियों की वसूली करने के लिए यहां इसमें उपरोक्त वर्णित बंधककृत संपत्तियों के विरुद्ध सरफॉएंसि अधिनियम की धारा 13(4) एवं धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाइयां आरंभ करने को बाध्य–विवश होंगे। इसके अतिरिक्त, आप पर उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय / पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तॉंतरण नहीं कर सकेंगे।

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
दिनॉंक : 26/02/2025 **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड**
स्थान : उत्तर प्रदेश **के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)**

pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001,
फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा कार्यालय : प्रथम तल, पिनैकल टावर, वैशाली कॉर्नर, गढ़ रोड, मेरठ–250004

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण के अधीन तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुपालन में और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना/एं प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थीं, जिसमें/जिनमें संबंधित कर्जदार/रों से प्रत्येक खाते के सामने वर्णित बकाया राशि उक्त सूचना/ओं की तिथि/सूचना/ओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार बकाया राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतः कर्जदार/रों तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को ले लिया है।

एतद्द्वारा, कर्जदार/रों को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बकाया राशि तथा ऋण अनुबंध के अनुसार उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा। **कर्जदारों का ध्यान, प्रत्यभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।**

ऋण खाता संख्या	कर्जदार/ सह–कर्जदार/ गारंटर(रै)/कानूनी वारिस का नाम	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा लेने की तिथि	बंधक सम्पत्ति का वर्णन
HOU/MEE/1221,933591, बी.ओ. मेरठ	श्री राहुल कुमार एवं श्रीमती मिथिलेश मिथिलेश	08–10–2024	रू. 33,03,010,38/– रूपये तेतीस लाख तीन हजार दस तथा पैसे अड़तीस मात्र	21–02–2025 भौतिक	एमपीएल नंबर ई–14, खसरा नंबर 163/3, नव शक्ति धाम कालोनी, ग्राम रजपुरा, परगना, तहसील एवं जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001

स्थान : मेरठ, मुरादाबाद तिथि : 25–02–2025 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क,
एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान करते हैं। नीचे हस्ताक्षरकर्ता का यथोचित मानना ध्है कि उधारकर्ता(ऋणकर्ता) मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए मांग नोटिस की तामील नियमों के अनुसार चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की विषय–वस्तु नीचे उद्धृत की गई है:

क्र.सं.	उधारकर्ता(ओं) के नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
1	**1. भगवती टेक्नोलॉजी 2. सुमित शर्मा 3. प्रीति शर्मा** **लैनः UGDELMC0000052019**	**डिमांड नोटिस की तिथि:** 12/02/2025 **नोटिस की राशि:** रु. 2,711,364.00 12/02/2025 तक
	सुरक्षित संपत्ति(ओं) का विवरण:– निर्माताः कॉसमॉस इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मॉडलः सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर सीवीएम 1160 **घटक कर चालानः** ID242000258	
2	**1. यूनिक इंटीरियर डेकोरेटर 2. मोहम्मद तालिब सैफी 3. सोनी** **लैनः UGDELMC0000035478**	डिमांड नोटिस की तिथि: 12/02/2025 नोटिस की राशि: रु. 3,841,174.00 12/02/2025 तक
	सुरक्षित संपत्ति(ओं) का विवरण:– निर्माताः श्री उमिया एंटरप्राइजेज, मॉडलः 1.ऑटोमैटिक एज बैंडर, 2. ट्रिमिंग स्पेयर, 3. प्रेसिंग मशीन, 4. पैनल सॉ, 5. डस्ट कलेक्टर, 6. कंप्रेसर, 7. बोरिंग मशीन, 8. सीएनसी राउटर, निर्माताः श्रीउमिया एंटरप्राइजेज, **मॉडलः** सर्वो स्टेबलाइजर, **टैक्स इनवॉयसः** SU00334/2023-24, SU00370/2023-24	

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें, साथ ही भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, विलंबित भुगतान दंड, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय आदि का भुगतान करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के पास उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहता है, तो यूग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि वसूलने के लिए बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ताओं को यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन–देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से रोकाधनिषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः नई दिल्ली **हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी)**
दिनांकः 26/02/2025 **यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के लिए, authorised.officer@ugrocapital.com**

Piramal Finance

पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएनः L65910MH1984PLC032639
पंजीकृत कार्यालयः 601, 6वीं मंजिल, पिरामल अमिटी बिल्डिंग, पिरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के विपरीत, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई–400070 टी –,+91 22 3802 4000
शाखा कार्यालयः प्लॉट नं–6, ब्लॉक ए, सेक्टर–2, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201 301
संपर्क व्यक्तिः 1. निक्की कुमार – 9650606340 2. पंकज कश्यप – 9136178689 3. रोहन सावंत – 9833143013

ई–नीलामी बिक्री सूचना – अगामी बिक्री

उधारकर्ता/ओं से देय राशि की वसूली के लिए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो कब्जे में है, को 'जहां है जैसा है', 'जो है जैसा है वैसा' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर खरीदने के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तावं आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ऋण कोड/शाखा/उधारकर्ता (ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर(ओं)	मांग नोटिस की तिथि और राशि	संपत्ति का पता–अंतिम	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आरपी का 10प्रतिशत)	बकाया राशि (24–02– 2025)
ऋण कोड संख्याः PHHLDEL04000352 दिल्ली (शाखा), श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री देवेंद्र कुमार शर्मा (उधारकर्ता), वंदना शर्मा (सह–उधारकर्ता 1)	दिनांकः 13–07–2021, रु. 2,42,27,664/– (रु. दो करोड़ बयालीस लाख सत्ताईस हजार छह सौ चौंसठ मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें विस्तार हैः–फ्लैट नंबर ए 603 प्लॉट नंबर 36 2 6वीं मंजिल सुपर हाई स्मार्ट अशोक सीजीएचएस लिमिटेड सेक्टर 9 दिल्ली हिमालय पब्लिक स्कूल के पास दिल्ली रोहिणी दिल्ली– 110085	रु. 2,34,10,000/– (रु. दो करोड़ चौंतीस लाख दस हजार मात्र)	रु. 23,41,000/– (रु. तेईस लाख इकतालिस हजार मात्र)	रु. 3,65,64,641/– (रुपये तीन करोड़ पैंसठ लाख चौसठ हजार छह सौ इकतालिस मात्र)
ऋण कोड संख्याः M0075901, दिल्ली – पीतमपुरा (शाखा), वेद व्यास (उधारकर्ता), रेखा कुमारी वी (सह उधारकर्ता 1)	दिनांकः 17–08–2023, रु. 26,16,756/– (रु. छब्बीस लाख सोलह हजार सात सौ छप्पन मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें विस्तार हैः– संपत्ति संख्या 27, 28 और 29 दूसरी मंजिल संख्या ए 4 बिना छत के दाईं ओर पीछे बाईं ओर गाँव नांगलोई जाट, गाँव नांगलोई जाट,– 110041	रु. 22,60,000/– (रु. बाईस लाख सी साठ मात्र)	रु. 2,26,000/– (रु. दो लाख छब्बीस हजार मात्र)	रु. 31,68,805/– (रुपये इकतीस लाख अड़सठ हजार आठ सौ पांच मात्र)
ऋण कोड संख्याः 23400003113, आगरा (शाखा), लोकेश शर्मा (उधारकर्ता), पंकज शर्मा (सह–उधारकर्ता 1) नितिन शर्मा लक्ष्मी कुमारी वंदना शर्मा मधु शर्मा (गारंटर 3)	दिनांकः 26–04–2022, रु. 36,41,786/– (रु. छत्तीस लाख इकतालीस हजार सात सौ अस्सी मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार हैः– एच. प्लॉट संख्या 491 पचिनपुरी आवास योजना, मौजा देहतोरा लोहामंडी वार्ड आगरा आगरा उत्तर प्रदेशरू– 282007 सीमाएं:– उत्तरः– अन्य संपत्ति दक्षिणः– प्लॉट संख्या– 492 पूर्वः– सड़क 30 फीट चौड़ी और प्लॉट संख्या–490 पश्चिमः– अन्य की संपत्ति	रु. 82,10,000/– (रु. बयासी लाख दस हजार मात्र)	रु. 8,21,000/–, (आठ लाख इक्कीस हजार रुपये मात्र)	रु. 51,14,931/– (इक्यावन लाख चौदह हजार नौ सौ इकतीस रूपये मात्र)
ऋण कोड संख्याः M0006043, दिल्ली (शाखा), अमित कुमार शर्मा (उधारकर्ता),	दिनांकः 17–08–2023, रु. 39,44,594.43/– (रु. उनचालीस लाख चौवालीस हजार पांच सौ चौरानबे मात्र और तैंतालीस पैसे)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें विस्तार हैरू– मकान संख्या 267 तीसरी मंजिल मोहल्ला राम नगर गाजियाबाद– 201001	रु. 30,00,000/– (रु. तीस लाख मात्र)	रु. 3,00,000/– (रु. तीन लाख मात्र)	रु. 49,29,023/– (रु. उन्चास लाख उनतीस हजार तेईस मात्र)
ऋण कोड संख्याः M0044907 और PHLPDEL04000489, दिल्ली (शाखा), राकेश पंडित (उधारकर्ता), पूनम शर्मा (सह–उधारकर्ता 1) संतोष (सह–उधारकर्ता 2)	दिनांकः 25–02–2023, रु. 44,34,212/– (रु. चौवालीस लाख चौंतीस हजार दो सौ बारह मात्र) और दिनांकः 17–08– 2023, रु. 21,85,697/– (रु. इक्कीस लाख पचासी हजार छह सौ सत्तानवे मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें विस्तार हैः– प्लॉट संख्या 56 और 57 खसरा संख्या 61 छन्स नई दिल्ली शिव मंदिर के पास यादव पार्क नई दिल्ली गांव कमरुद्दीन नगर यादव पार्क एक्सटेंशन नजफगढ़ रोड नांगलोई दिल्ली– 110041	रु. 60,80,000/– (रुपये साठ लाख अस्सी हजार मात्र)	रुपये 608000/– (रुपये छह लाख आठ हजार मात्र)	रु. 52,73,847/– (रुपये बावन लाख तिहत्तर हजार आठ सौ सैंतालीस मात्र) एवं 25,56,772/– (रुपये पच्चीस लाख छप्पन हजार सात सौ बहत्तर मात्र)
ऋण कोड संख्याः 25500000483, दिल्ली – पीतमपुरा (शाखा), अजीत सिंह (उधारकर्ता), निर्मला (सह–उधारकर्ता 1)	दिनांकः 14–03–2018, रु. 1,63,33,521/– (रु. एक करोड़ तिरसठ लाख तैंतीस हजार पांच सौ इक्कीस मात्र)	संपत्ति का समस्त टुकड़ा और पार्सल जिसमें विस्तार हैः– खसरा संख्या 14682/13909/10842/6767 मौजा रोहतक, पेट्रोल पंप के सामने जींद बाई पास रोड मैक लिमिट्स रोहतक रोहतक हरियाणाः– 124001	रु. 1,98,40,000/– (रु. एक करोड़ अट्ठानवे लाख चालीस हजार मात्र)	रु. 19,84,000/– (रु. उन्नीस लाख चौरासी हजार मात्र)	रु. 4,58,43,249/– (रुपये चार करोड़ अट्ठावन लाख तैंतालीस हजार दो सौ उनचास मात्र)
ऋण कोड संख्याः 09600001402, दिल्ली – पीतमपुरा (शाखा), राधेश्याम (उधारकर्ता), रेखा सिंह (सह–उधारकर्ता 1)	दिनांकः 14–06–2021, रु. 23,13,461/– (रु. तेईस लाख तेरह हजार चार सौ इकसठ मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसकी सीमा हैः– संपत्ति संख्या आरजेड–118, तीसरी मंजिल खसरा नंबर 419, कैलाश पुरी, गाँव नासिर पुर, पालम गाँव नासिर पुर, पालम नई दिल्ली नई दिल्ली दिल्लीः– 110045 सीमाएँः– उत्तरः– गली 20 फीट चौड़ी दक्षिणः– प्लॉट का हिस्सा पूर्वः– दूसरे की संपत्ति पश्चिमः– दूसरे की संपत्ति	रु. 15,90,000/– (रु. पंद्रह लाख नब्बे हजार मात्र)	रु. 1,59,000/– (रु. एक लाख उनसठ हजार मात्र)	रु. 38,79,945/– (रु. अड़तीस लाख उनासह हजार नौ सौ पैंतालीस मात्र)

ई–नीलामी की तिथिः 18–03–2025, प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ),
बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 17–03.2025, सायं 4.00 बजे से पूर्व।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया www.piramalfinance.com/e-Auction.html में दिए गए लिंक को देखें या हमें piramal.auction@piramal.com पर ईमेल करें।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

उपर्युक्त उधारकर्ता/गारंटर को नीलामी की तिथि से पहले की तिथि तक अर्जित ब्याज सहित धारा 13(2) नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया राशि होगी तो उसे उधारकर्ता/गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 26 फरवरी 2025 **हस्ता/– (प्राधिकृत अधिकारी)**
स्थानः दिल्ली **पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

(THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.)

(Please scan this QR Code to view the RHP)

BALAJI PHOSPHATES LIMITED

Registered and Corporate Office: 305 Utsav Avenue, 3rd Floor, 12/5 Ushaganj Jaora Compound, Indore G.P.O., Indore (Madhya Pradesh)- 452001.
Contact Person: Deepika Singh, Company Secretary & Compliance Officer; **Tel:** +919827090267; **E-mail:** infous@balajiphosphates.com, **Website:** www.balajiphosphates.com

CORRIGENDUM TO THE RED HERRING PROSPECTUS DATED FEBRUARY 21, 2025 (RHP) FILED WITH THE REGISTRAR OF COMPANIES, GWALIOR, MADHYA PRADESH (ROC)

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 71,58,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF BALAJI PHOSPHATES LIMITED ("THE COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE"), (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE), AGGREGATING UPTO ₹ [•] LAKHS ("THE OFFER"), COMPRISING OF FRESH OFFER OF UP TO 59,40,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[•] (THE "FRESH ISSUE") ("THE ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 12,18,000 EQUITY SHARES BY MR. ALOK GUPTA AND MR. MOHIT AIREN ("SELLING SHAREHOLDER") AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS ("OFFER FOR SALE"), THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF 3,58,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING TO ₹ [•] ("THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF 68,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE 30.10 % AND 28.60 % RESPECTIVELY OF THE POST OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO CHAPTER TITLED *"TERMS OF THE OFFER"* BEGINNING ON PAGE NO 311 OF THE RED HERRING PROSPECTUS.

Attention of the investors are drawn to the aforesaid RHP filed with the ROC. Inadvertently, the following disclosures pertaining to the allotment procedure / flow of events from bidding closure period were omitted to be mentioned in the RHP. Accordingly, the disclosures given hereunder are to be treated as part of the aforesaid RHP :

ALLOTMENT PROCEDURE AND BASIS OF ALLOTMENT

The Allotment of Equity Shares to Bidders other than Retail Individual Investors and Anchor Investors may be on proportionate basis. For Basis of Allotment to Anchor Investors, Bidders may refer to Red Herring Prospectus. No Retail Individual Investor will be Allotted less than the minimum Bid Lot subject to availability of shares in Retail Individual Investor Category and the remaining available shares, if any will be Allotted on a proportionate basis.

Flow of Events from the closure of bidding period (T DAY) Till Allotment:

- On T Day, RTA to validate the electronic bid details with the depository records and also reconcile the final certificates received from the Sponsor Bank for UPI process and the SCSBs for ASBA and Syndicate ASBA process with the electronic bid details.
- RTA identifies cases with mismatch of account number as per bid file / Final Certificate and as per applicant's bank account linked to depository demat account and seek clarification from SCSB to identify the applications with third party account for rejection.
- Third party confirmation of applications to be completed by SCSBs on T+1 day.
- RTA prepares the list of final rejections and circulate the rejections list with BRLM(s)/ Company for their review/comments.
- Post rejection, the RTA submits the basis of allotment post review by BRLM with the Designated Stock Exchange (DSE).
- The Designated Stock Exchange (DSE), post verification approves the basis and generates drawal of lots wherever applicable, through a random number generation software.
- The RTA uploads the drawal numbers in their system and generates the final list of allotees as per process mentioned below:

Process for generating list of allotees: -

- Instruction is given by RTA in their Software System to reverse category wise all the application numbers in the ascending order and generate the bucket /batch as per the allotment ratio. For example, if the application number is 78654321 then system reverses it to 12345687 and if the ratio of allottees to applicants in a category is 2:7 then the system will create lots of 7. If the drawal of lots provided by Designated Stock Exchange (DSE) is 3 and 5 then the system will pick every 3rd and 5th application in each of the lot of the category and these applications will be allotted the shares in that category.
- In categories where there is proportionate allotment, the Registrar will prepare the proportionate working based on the oversubscription times.
- In categories where there is undersubscription, the Registrar will do full allotment for all valid applications.
- On the basis of the above, the RTA will work out the allotees, partial allotees and non- allottees, prepare the fund transfer letters and advice the SCSBs to debit or unblock the respective accounts.

Allotment will be made in consultation with NSE (The Designated Stock Exchange). In the event of oversubscription, the allotment will be made on a proportionate basis in marketable lots as set forth here:

The total number of Shares applied for in that category multiplied by the inverse of the over subscription ratio (number of applicants in the category x number of Shares applied for).

For applications where the proportionate allotment works out to less than [•] equity shares the allotment will be made as follows:

Each successful applicant shall be allotted [•] equity shares; and

The successful applicants out of the total applicants for that category shall be determined by the draw of lots in such a manner that the total number of Shares allotted in that category is equal to the number of Shares worked out.

If the proportionate allotment to an applicant works out to a number that is not a multiple of [•] equity shares, the applicant would be allotted Shares by rounding off to the lower nearest multiple of [•] equity shares subject to a minimum allotment of [•] equity shares.

If the Shares allocated on a proportionate basis to any category is more than the Shares allotted to the applicants in that category, the balance available Shares for allocation shall be first adjusted against any category, where the allotted Shares are not sufficient for proportionate allotment to the successful applicants in that category, the balance Shares, if any, remaining after such adjustment will be added to the category comprising of applicants applying for